

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 105/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी - पिरामल  
केपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेंस  
लि० शाखा कार्यालय 302/5,  
तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.  
आई. रोड, जयपुर।

बनाम 1. गुलशेर खॉ कायमखानी निवासी  
कायमखानी मोहल्ला, गाँव बनेडा,  
जिला भीलवाड़ा।  
2. शहनाज बानों निवासी कायमखानी  
मोहल्ला, गाँव बनेडा, जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी- श्री हिमांशु सोनी।



**निर्णय**

दिनांक : 04.08.2023

प्राधिकृत अधिकारी - पिरामल केपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेंस लि० शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 8,45,854/- रुपये का ऋण दिनांक 26.02.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति-प्लॉट नं. 11 बुक नं. 26, कायमखानी मोहल्ला, गाँव बनेडा, जिला भीलवाड़ा (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.07.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 9,07,983/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 10.07.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।